

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/अका./2016/185

जबलपुर, दिनांक : 22/10/2016

अधिसूचना

सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश क्रमांक 41 (संशोधन), 43 (संशोधन) एवं नवीन अध्यादेश क्रमांक 223, 224, 225, 226, 227, 228 मान्य किये जाने का प्रस्ताव विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति के विचारार्थ भेजा गया था, जिसे समन्वय समिति की 91वीं बैठक दिनांक 20/06/2016 में पद क्रमांक 31 में मान्य किया गया। तदनुसार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24/08/2016 के पद क्रमांक 19 में स्वीकृति उपरांत निम्नानुसार अध्यादेशों (संलग्न) को एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है :-

क्र०	अध्यादेश/परिनियम क्र.	अध्यादेश/परिनियम का नाम
1.	अध्यादेश 41 (संशोधन)	बी.एड. 02 वर्षीय पाठ्यक्रम ।
2.	अध्यादेश 43 (संशोधन)	बी.एड. विज्ञान 02 वर्षीय पाठ्यक्रम ।
3.	अध्यादेश 223 (नवीन)	पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.) एवं पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा इन सायबर फारेन्सिस एण्ड इनफरमेशन सेक्योरिटी (पी.जी.डी.सी.एस.) पाठ्यक्रम ।
4.	अध्यादेश 224 (नवीन)	एम.एससी. (सायबर सेक्योरिटी) मास्टर डिग्री 02 वर्षीय पाठ्यक्रम ।
5.	अध्यादेश 225 (नवीन)	Bio Design Innovatoin Center Diploma 06 month पाठ्यक्रम ।
6.	अध्यादेश 226 (नवीन)	Bio Design Innovatoin Center Certificate 03 month पाठ्यक्रम ।
7.	अध्यादेश 227 (नवीन)	(B.Voc) Building Construction Technology and In Medical Laboratory Technology. In University Teaching Department पाठ्यक्रम ।
8.	अध्यादेश 228 (नवीन)	एम.एड. विज्ञान 02 वर्षीय पाठ्यक्रम ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार,

कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22/10/2016

पृ० क्रमांक/अका./2016/185 "अ"
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/अधिकारीगण, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के समस्त प्राचार्यगण ।